संख्या–375 अ/26–ब0प्र0–2011–एस0एन0डी0(144)/10

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ट समाज कल्याण — लखनऊ:दिनांक 19 अप्रैल, 2011

विषयः–उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 में की गयी बजट व्यवस्था के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011, दिनांक 21.03.2011 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत आय–व्ययक में की गई बजट व्यवस्था रू0 540.00 करोड़ (रू0 पॉच अरब चालीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस योजना के अन्तर्गत निर्गत किये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रथम छः माह के लिए किया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय नियमों एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011, दिनांक 21.03.2011 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी योजना/मद पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। किसी भी दशा में अन्य योजना/मद पर पुर्नविनियोजित/व्यय नही किया जायेगा।
5. धनराशि का आहरण व्यय की आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

2. उपर्युक्त योजना में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्यय में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–आयोजनागत–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–05–उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना–20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन) के अन्तर्गत की गई बजट व्यवस्था से वहन किया जायेगा तथा व्यय उक्त योजना के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–3–758/दस–2011, दिनांक 15 अप्रैल, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमाशंकर सिंह)
अनु सचिव

संख्या– 375अ(1)/26–ब0प्र0–2011–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 एवं
7. राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2 एवं नियोजन अनुभाग–3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव